न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड, ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का एंव प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 06/02/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
120 / 2018	2018 / 0233	06.08.2018	06.02.2023

उनवान प्रकरण

सत्यनारायण सिंह पुत्र धन सिंह उम्र 65 वर्ष, जाति दरोगा निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादी —

बनाम्

1. माली कंवर पुत्री धन सिंह पत्नी रणजीत सिंह उम्र 67 वर्ष निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी गांव फागणवास उपतहसील पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
2. संतोष कंवर पुत्री धन सिंह पत्नी कैलाश सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी गांव रावपुरा धानोता तहसील शाहपुरा जिला सीकर राज0
3. प्रभाती कंवर पत्नी धन सिंह उम्र 67 वर्ष
4. किशोर सिंह पुत्र धन सिंह उम्र 67 वर्ष
5. महावीर सिंह पुत्र धन सिंह उम्र 45 वर्ष
6. झाबर सिंह पुत्र धन सिंह उम्र 42 वर्ष
7. मक्खन सिंह पुत्र धन सिंह उम्र 40 वर्ष
8. छोग सिंह पुत्र लादू सिंह उम्र 55 वर्ष
9. समन्द्र सिंह पुत्र देबू सिंह दादा लादू सिंह उम्र 35 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

10. महेन्द्र सिंह पुत्र देबू सिंह दादा लादू सिंह उम्र 35 वर्ष
11. श्रवण कंवर पत्नी देबु सिंह श्वसुर लादू सिंह उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति दरोगा निवासीगण ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

12. पटवारी, पटवार हल्का पिथलपुर।
13. उपतहसीलदार, अजीतगढ।
14. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितः—

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 3 अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 11 अभिभाषक।
श्री अमर शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से

वादपत्र बाबत दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड, ईस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

48 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.32 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमियां है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 11 एक ही सजरा खानदान के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के हिस्सा 3/16 भाग की भूमि वादी के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजीयात के हिस्सा 1/8 भाग में वादी के मृतक पिता का नाम सही रूप से धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज चला आ रहा है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के चलते उक्त आराजीयात के हिस्सा 1/16 भाग की खातेदारी में वादी के मृतक पिता का नाम धन सिंह पुत्र भंवर सिंह की जगह धन्ना पिता लादू दर्ज हो गया। धन्न सिंह के पिता का नाम भंवर सिंह था, लादू सिंह वादी के दादा भंवर सिंह के भाई थे। जिसके कारण वादी के पिता वल्दियत में गलत तरीके से उनके ताऊ लादू सिंह का नाम दर्ज हो गया। जो कि गलत होकर उक्त 1/16 भाग के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम धन्ना पुत्र लादू की जगह धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी के हिस्सा 5/12 भाग की भूमि वादी के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजीयान के हिस्सा 1/4 भाग में वादी के मृतक पिता का नाम सही रूप से धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के चलते उक्त आराजीयान के हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी में वादी के मृतक पिता का नाम धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह जगह धन्ना पिता लादू दर्ज हो गया। धन्न सिंह के पिता का नाम भंवर सिंह था, लादू सिंह वादी के दादा भंवर सिंह के भाई थे। जिसके कारण वादी के पिता की वल्दियत में गलत तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से उनके ताऊ लादू सिंह का नाम दर्ज हो गया। जो गलत होकर उक्त 1/6 भाग के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम धन्ना पुत्र लादू की जगह धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित आराजी के हिस्सा 1/6 भाग की भूमि वादी के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त हिस्सा 1/6 भाग भूमि में वादी के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के चलते उक्त धन सिंह पुत्र भंवर सिंह की जगह धन्ना पिता लादू दर्ज हो गया। धन्न सिंह के पिता का नाम भंवर सिंह था, लादू सिंह वादी के दादा भंवर सिंह के भाई थे। जिसके कारण वादी के पिता की वल्दियत में गलत तरीके से उनके ताऊ लादु सिंह का नाम दर्ज हो गया। जो कि गलत होकर उक्त 1/6 भाग के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम धन्ना पुत्र लादू की जगह धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 3 में संदर्भित आराजीयान का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 मृतक पिता/पति धन सिंह के जीवन काल में अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व ही बाहमी बंटवारा हो गया था। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से में बराबर बराबर आ गई थी अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 अपने पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में 1/5 – 1/5 हिस्से के मालिक हो गये। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 जो कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 की बहिने एवं मां है ने उक्त वादग्रस्त भूमियों में अपना अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के हक हिस्से में बराबर बराबर छोड़ दिया था। तब से उक्त वादग्रस्त आराजीयान पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 बाहमी बंटवारा अनुसार पूर्णतया कब्जा काश्त चले आ रहे थे। जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का कोई हक हिस्सा व सरोकार नहीं है परन्तु वर्तमान में ज[illegible] बढ़ती किमतों को देखकर एवं वादी से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 बिना अपने कब्जे काश्त के एवं बिना विधिक अधिकार के उक्त वादग्रस्त भूमियों में विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अनुसार प्राप्त अपने हक हिस्से को अकेले प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 के नाम करवाने पर आमादा हो रही है। जिसका प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को किसी किस्म का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमियों में वादी के पिता धन सिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा वादी उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार अपने मृतक पिता के नाम दर्ज भूमि व कब्जे काश्त की भूमि में हिस्स 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सा 1/16 भाग में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति का नाम व वल्दियत गलत अंकन कर रखी है, जो कि सही धन सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की घोषणा की जाकर उक्त 1/16 हिस्से एवं धन सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/8 हिस्से कुल 3/16 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को 1/5 – 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सा 1/6 भाग में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति का नाम व वल्दियत गलत अंकित कर रखी है, जो कि सही धन सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की घोषणा की जाकर उक्त 1/6 हिस्से एवं धन सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/5 हिस्से कुल 5/12 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को 1/5 – 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड के हिस्सा 1/6 भाग में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति का नाम व वल्दियत गलत अंकित कर रखी है, जो कि सही धन सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की घोषणा की जाकर उक्त 1/6 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को 1/5 – 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने वादी के खिलाफ एक गिरोह बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लिया है तथा येनकेन प्रकारेण बाहमी बंटवारा अनुसार प्राप्त वादी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है तथा वादी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड मे किसी भी हद तक जाकर अजनबी व्यक्तियों का कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने पर आमादा हो रहे है व वादीगण को उसके हक हिस्से व अधिकारों से महरूम करने पर आमादा हो रहे है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 को इस प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने का कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को उनके उक्त अवैध एवं बैजा कृत्य के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादकारण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 द्वारा दो रोज पूर्व बारीश होने के बाद वादी के हक हिस्से की भूमि में जबरन खेती करने पर आमादा होने, वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने, वादी के उक्त भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने एवं उक्त भूमियों को अन्य किसी को अन्तरण करने की एलानियां धमकियां देने पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना लाजिमी हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 8 ता 11 को लादू सिंह के वारिसान होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 12 ता 14 को राजस्व रिकॉर्ड परिवर्तन करने में सक्षम होने एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी ने वादपत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 1.45 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न रिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/16 अंकित है को ह[illegible] जाकर उक्त 1/16 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि कुल 3/16 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

घोषित किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.99 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/6 अंकित है को हजफ किया जाकर उक्त 1/6 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि कुल 5/12 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड घोषित किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.32 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/6 अंकित है को हजफ किया जाकर उक्त 1/6 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 को काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जानें कि वे उक्त वर्णित आराजी के वादी के हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त न तो स्वयं कब्जा करें तथा न ही दीगर से करावे तथा न ही उक्त भूमि पर स्वयं निर्माण करे तथा न ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि में स्वयं बदले तथा न हीं दीगर से बदलवाये तथा न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी भी तरीके दखलंदाजी, मुजाहमत पैदा करे तथा ना ही वादी के उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा रूकावट पैदा करे तथा, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही दीगर से करावें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादी के हक हकूकों पर कोई विपरीत असर पड़ता हो का निवेदन वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 11 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने जवाब दावा मय क्रोस दावा पेश किया। जिसको वकील वादी ने स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। शेष प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 की सम्मन तामील हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य में वादी सत्यनारायण सिंह पुत्र धनसिंह का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र एंव वादी साक्ष्य गवाहान् में उमराव सिंह व बाबूड़ा के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 लगायत 11 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर लिये जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकारण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की कुल तीन जमाबन्दियों के रिकार्ड अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 7 के मृतक पिता/पति की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियाँ [illegible] कृषि भूमियाँ होना प्रमाणित होता है। जिसमें वादी के मृतक पिता [illegible] नाम धन सिंह पुत्र भँवर सिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्थान पर की जगह धन्ना पिता लादू का दर्ज होना प्रकट होता है। जबकि वादी के पिता धनसिंह के पिता का नाम भँवर सिंह होना तथा लादूसिंह वादी के दादा भँवरसिंह का भाई होना प्रकट होता है। वादी के पिता की वल्दियत में गलत तरीके से वादी के ताउ लादूसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रतित होता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 लगायत 11 के द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया जाना तथा वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियाँ वादी एंव प्रतिवादीगण की पैत्रृक भूमियाँ होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध होती है। जिसकी ताईद प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 लगायत 11 के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत किये गये राजीनामा से भी होती है। जिसको साक्ष्य वादी में मुख्य परीक्षण में पेश वादी सत्यनारायण पुत्र धनसिंह व गवाहान् उमराव सिंह व बाबूडा ने अपने द्वारा पेश शपथ पत्रों से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतित होता है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वादपत्र को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एंव प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर दावा एंव प्रतिदावा को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड, ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादिया संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि अवस्थित तन् ग्राम सांवलपुरा शेखावतान् पटवार हल्का पीथलपुर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 396 रकबा 1.45 हैक्टर में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/16 अंकित है को हजफ किया जाकर उक्त 1/16 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/8 हिस्सा भूमि कुल 3/16 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक को हिस्सा 21/640 का व प्रतिवादिया संख्या 2 को हिस्सा 3/1228 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 1.99 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/6 अंकित है को हजफ किया जाकर उक्त 1/6 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह के नाम सही रूप से दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि कुल 5/12 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक को हिस्सा 3/40 व प्रतिवादिया संख्या 2 को हिस्सा 1/24 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 6.32 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मृतक पिता/पति धन सिंह उर्फ धन्न सिंह पुत्र भंवर सिंह का नाम जो गलत इन्द्राज धन्ना पिता लादू हिस्सा 1/6 अंकित है को हजफ किया जाकर उक्त 1/6 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 4 ता 7 प्रत्येक को 7/240 का व प्रतिवादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 2 को 1/48 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/02/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.02.22 12:03:34 IST
Reason: SelfAttested